

न्यायालय:- प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक-११.....

शिवपुरी, दिनांक-11.09.2026

॥ संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 ॥

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म.प्र., माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. 8565/तीन-2-3/74 दिनांक 12/03/1977 के निर्देशानुसार तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-12 एवं 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं कोलारस में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए इस न्यायालय द्वारा मात्र जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं कोलारस के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन संबंधी आदेशों/संशोधित आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार, समान आपराधिक कार्य विभाजन कर प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं निम्नानुसार निश्चित करती हूं-

क्र.	नाम मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार का थाना/विभाग	रिमार्क/अनुदेश
1.	2.	3.	4.
1.	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी, जिला शिवपुरी	संपूर्ण न्यायिक जिला शिवपुरी आरक्षी केन्द्र 1. कोतवाली 2. फिजीकल 3. आबकारी वृत्त शिवपुरी 4. यातायात	1. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, फिजीकल, आबकारी वृत्त शिवपुरी एवं यातायात (विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) के अंतर्गत उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ. आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक विविध कार्यवाहियां। 2. शिवपुरी जिले के कारखाना एवं श्रम अधिनियम से संबंधित, विशेष न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय के द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त प्रकरण। 3. स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स यूनिट्स (शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी) के अंतर्गत उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक विविध कार्यवाहियां। (माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन नंबर-सी/2681 दिनांकित 05.03.2024 के पालन में)

2.

		<p>4. जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी, करैरा, कोलारस, पोहरी, पिछोर एवं खनियाधाना के समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न खारजी (ई.आर.)।</p> <p>5. नगर पालिका क्षेत्र शिवपुरी के अंतर्गत नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>6. अतिरिक्त परिवहन अधिकारी शिवपुरी द्वारा प्रस्तुत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत समस्त प्रकरण तथा धारा 194 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रकरण, जिसमें क्षमता से, 8 टन भार से अधिक से संबंधित प्रकरण।</p> <p>7. आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं फिजीकल के अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।</p> <p>8. सिनेमेटोग्राफी अधिनियम एवं कॉपीराइट अधिनियम के सम्पूर्ण राजस्व जिला शिवपुरी से उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>9. ईनामी चिट और परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 के सम्पूर्ण जिला शिवपुरी से उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>10. नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, खनिज विभाग तथा ऐसे विभागों के निरीक्षकों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>11. समस्त जिला शिवपुरी के किसी भी थाना क्षेत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के मोटरयान अधिनियम अथवा अन्य विविध अधिनियम के अंतर्गत चलित न्यायालय का आयोजन।</p> <p>12. सम्पूर्ण शिवपुरी जिला से संबंधित ऐसे प्रकरण, जो केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं।</p> <p>13. ऐसे समस्त प्रकरण जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।</p> <p>14. तहसील शिवपुरी के Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the</p>
--	--	--

			<p>Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment Protection Act, the Indian Forest Act and the Wild life Protection Act.</p> <p>15. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी द्वारा अंतरित समस्त प्रकरण।</p>
2.	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	<p>आरक्षी केन्द्र</p> <p>1. देहात</p> <p>2. महिला थाना</p>	<p>1. आरक्षी केन्द्र देहात एवं महिला थाना के अंतर्गत उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र देहात के अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधिक एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र सिरसौद, गोपालपुर, फिजीकल, सुरवाया, सुभाषपुरा, देहात, सतनवाड़ा, कोतवाली, बम्हारी, महिला थाना के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में उल्लेखित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304-बी, 354, 354-ए, 354-बी, 354-सी, 354-डी, 366-ए, 366-बी, 372, 373, 375, 376-ए लगायत 376-ई, 494, 495, 496, 498 एवं 498-ए से उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण उनके अभियोग पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न मामले एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां तथा धारा 125 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उत्पन्न मामले।</p> <p>4. तहसील शिवपुरी के समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत मुस्लिम महिलायें (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामले एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>5. तहसील शिवपुरी के समस्त रिक्त न्यायालय जिनमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शिवपुरी एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी के न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक</p>

4.

			<p>प्रकरणों के संबंध में जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अर्थदण्ड की वसूली, प्रतिकर की अदायगी तथा माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आपराधिक प्रकरणों की कार्यवाही तथा इसी प्रकार की समस्त आपराधिक कार्यवाहियां होने पर उसका निराकरण करेंगे।</p> <p>6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।</p>
3.	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	आरक्षी केन्द्र 1. सुभाषपुरा 2. सतनवाड़ा	<p>1. आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा एवं सतनवाड़ा के अंतर्गत उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा एवं सतनवाड़ा के अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा एवं सतनवाड़ा की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।</p>
4.	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	आरक्षी केन्द्र 1. बम्हारी 2. सिरसौद 3. गोपालपुर, 4. अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण शिवपुरी, 5. कोतवाली एवं फिजीकल के धारा 138 के	<p>1. आरक्षी केन्द्र बम्हारी, सिरसौद, गोपालपुर, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण के अंतर्गत उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र बम्हारी, सिरसौद, गोपालपुर, के अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधिक एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत</p>

		प्रकरण	<p>प्रस्तुत मामले।</p> <p>3. आरक्षी केंद्र बम्हारी, सिरसौद, गोपालपुर, कोतवाली एवं फिजीकल की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।</p>
5.	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	आरक्षी केन्द्र 1. जी०आर०पी० 2. सुरवाया 3. देहात के धारा 138 के प्रकरण	<p>1. आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी. एवं सुरवाया के अंतर्गत उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी. एवं सुरवाया के अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधिक एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र सुरवाया, देहात की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।</p>
तहसील न्यायालय कोलारस के संबंध में			
6.	सुश्री प्रीति पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस जिला-शिवपुरी	आरक्षी केन्द्र 1. इंदार 2. रन्नौद 3. तेंदुआ	<p>1. आरक्षी केन्द्र इंदार, रन्नौद एवं तेंदुआ के अंतर्गत उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र इंदार, रन्नौद एवं तेंदुआ के स्वापक औषधियां और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम</p>

6.

			<p>1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र कोलारस, बदरवास, इंदार, रन्नौद, तेंदुआ के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में उल्लेखित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304-बी, 354, 354-ए, 354-बी, 354-सी, 354-डी, 366-ए, 366-बी, 372, 373, 375, 376-ए लगायत 376-ई, 494, 495, 496, 498 एवं 498-ए से उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण के अभियोग पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न मामले एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां तथा धारा 125 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उत्पन्न मामले।</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र कोलारस, बदरवास, इंदार, रन्नौद, तेंदुआ के समस्त आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत मुस्लिम महिलायें (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामले एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>5. आरक्षी केन्द्र इंदार, रन्नौद एवं तेंदुआ की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।</p>
7.	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस जिला-शिवपुरी	<p>आरक्षी केन्द्र 1. कोलारस 2. आबकारी (वृत्त कोलारस)</p>	<p>1. आरक्षी केन्द्र कोलारस एवं आबकारी वृत्त कोलारस के अंतर्गत उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवादपत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. तहसील कोलारस एवं बदरवास के नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और ऐसे विभागों के निरीक्षकों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।</p> <p>3. तहसील कोलारस एवं बदरवास के खनिज</p>

			<p>विभाग से उदभूत समस्त आपराधिक परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र कोलारस के स्वापक औषधियां और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले।</p> <p>5. आरक्षी केन्द्र कोलारस की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>6. तहसील कोलारस एवं बदरवास के Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment Protection Act, the Indian Forest Act and the Wild life Protection Act.</p> <p>7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे आनुशांगिक कार्यवाहियां।</p>
8.	<p>श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोलारस जिला-शिवपुरी</p>	<p>आरक्षी केन्द्र 1. बदरवास</p>	<p>1. आरक्षी केन्द्र बदरवास के अंतर्गत उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवादपत्र अंतिम प्रतिवेदन (एफ. आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र बदरवास के स्वापक औषधियां और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र बदरवास की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे आनुशांगिक कार्यवाहियां।</p>

//सामान्य आदेश//

1. जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यह आदेश जारी किये जाने से पूर्व ही परिवाद पत्र लंबित है तथा परिवाद पत्र दर्ज किये जाने हैं तब उक्त परिवाद पत्र पर उसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी, जिनके समक्ष पूर्व से ही उक्त परिवाद पत्र पंजीयन हेतु लंबित हैं।
2. आपराधिक कार्य-विभाजन पत्रक में किसी उपबंध के होते हुए भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को सम्पूर्ण शिवपुरी जिले के किसी भी आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले अथवा किसी भी विभाग के क्षेत्राधिकार के मूल दाण्डिक प्रकरण अथवा विविध दाण्डिक प्रकरण अथवा अन्य कार्यवाहियों में संज्ञान, विचारण एवं जांच का क्षेत्राधिकार होगा।
3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी संपूर्ण शिवपुरी जिले में सत्र न्यायाधीश महोदय को पूर्व सूचना देकर समय-समय पर चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
4. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/1743 जबलपुर दि० 04.05.16 के पालन में वन और खनिज के संबंध में तथा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/384/।।।-6-6/84 जबलपुर दिनांक 09.01.14 के परिपालन में महिला अपराध के संबंध में कार्य वितरण माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी के निर्देश के अधीन है।
5. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने थाना क्षेत्रों से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को पूर्व सूचना देकर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी को सूचित कर समय-समय पर चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
6. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 187 की उपधारा 8 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत पुलिस रिमांड स्वीकार करने के आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रेषित करेंगे।
7. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट उपार्पण प्रकरणों को शीघ्रतम अवधि में अथवा यथासंभव उसी दिन जिस दिन अभियोग पत्र प्रस्तुत होता है, माननीय सत्र न्यायालय को प्रकरण उपार्पित करेंगे और प्रकरण उपार्पण करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रकरण के सभी अभियुक्तगण को सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां प्रदाय की जा चुकी हैं तथा निरोध की अवधि की धारा 468 बी.एन.एस.एस., 2023 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जा चुका है। उसी के साथ-साथ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपार्पित करते समय उक्त संपत्ति भी विचारण में माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके।
8. इस कार्य विभाजन पत्रक का कोई प्रभाव पूर्व से किसी न्यायालय में लंबित प्रकरणों, अपंजीकृत परिवाद पत्रों पर नहीं पड़ेगा, परन्तु जिन मामलों में अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उनके रिमाण्ड पेपर संबंधित मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय को तत्काल प्रेषित करेंगे।
9. किसी भी न्यायालय के अत्यावश्यक कार्यों में, जो किसी न्यायालय के अवकाश पर रहने या न्यायालय रिक्त होने की दशा में उस न्यायालय के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा उसमें सुपुर्दगी आवेदनों का निराकरण, जमानत आवेदनों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण के ऐसे प्रकरण शामिल होंगे, जिनमें आरोपी द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति की जा रही हो,

ऐसे प्रकरण प्रभारी न्यायालय के द्वारा ही निराकृत किये जायेंगे, अत्यावश्यक कार्यों में ऐसे अभियोग पत्रों को भी गृहण करना और प्राप्त करना, सम्मिलित होगा, जिनमें 60 दिन अथवा 90 दिवस की अपेक्षित विधिक परिसीमा का अवसान हो रहा है।

10. जिला मुख्यालय पर प्रत्येक अवकाश के दिनों में रिमाण्ड ड्यूटी दोपहर 03 बजे से लेकर 05 बजे तक निष्पादित किये जाने हेतु रिमाण्ड ड्यूटी आदेश पृथक से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी द्वारा जारी किया जावेगा।

11. सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय या मध्यप्रदेश शासन द्वारा अवकाश घोषित किया जाता है, तो उस स्थिति में तहसील मुख्यालय में पदस्थ मजिस्ट्रेटगण अपने कमानुसार एवं आवश्यक सामंजस्य से घोषित अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य संपादित करेंगे।

12. यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश आकस्मिक अवकाश अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेटों द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है। इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।

13. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्जित अवकाश अथवा लघुकृत अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करता है अथवा अपरिहार्य कारणवश कोई कार्य दिवस अवकाश के रूप में घोषित होने वाले उक्त अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी जिसने उसके पूर्व अंतिम अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित की थी और इसके लिए पृथक से कोई आदेश जारी नहीं होगा। यदि इसी परिस्थिति के संबंध में पृथक से जारी किये गये रिमाण्ड ड्यूटी आदेश में कोई आदेश किया गया है तो उक्त आदेश अधिभावी होगा।

14. विशेष अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय के रिमाण्ड, जो विशेष अधिनियम से संबंधित हैं, में प्रथम रिमाण्ड जे.आर./पी.आर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकेगा तथा द्वितीय रिमाण्ड हेतु संबंधित माननीय विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में रिमाण्ड प्रपत्र तत्काल भेजे जावेंगे। यह ध्यान रखा जावे कि ऐसे रिमाण्ड में अवकाश के दिन की तारीख न दी जावे।

15. धारा 34 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम और अ.जा. एवं अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार आरोपीगण को अवकाश के दिनों में संबंधित आरक्षी केन्द्र द्वारा उन पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट या उस मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ही पेश किया जावेगा।

16. जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला जज महोदय से अनुमति प्राप्त कर एवं पूर्व अवकाश स्वीकृत कराए बिना तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट आपस में सामंजस्य स्थापित कर अवकाश आवेदन पत्र इस प्रकार प्रेषित करें कि कम से कम एक न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। मुख्यालय छोड़ने व अवकाश हेतु दिये गये आवेदन पत्र की प्रतिलिपि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी दी जावे।

17. मुख्यालय शिवपुरी एवं समस्त तहसील में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का जो **सिविल पद** पूर्व में धारित रहा है उसी सिविल पद पर नवीन कोई पीठासीन अधिकारी के पदस्थ न होने की दशा में ही ऐसा न्यायालय आपराधिक कार्य हेतु **रिक्त न्यायालय** माना जावेगा।

18. मुख्यालय शिवपुरी एवं समस्त तहसील में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के जिन न्यायालयों में पूर्व में पीठासीन अधिकारी के **स्थानांतरण या रिक्त होने के उपरांत** उसी न्यायालय में उसी पद पर नवीन पीठासीन अधिकारी की स्थापना हो चुकी है वह **रिक्त न्यायालय** नहीं माना जावेगा।

19. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-183 के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलेखन संलग्न **अनुसूची क्रमांक 01** अनुसार किया जावेगा।

20. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर/पद रिक्त होने पर/अनुपस्थित रहने की दशा में आवश्यक कार्यभार **अनुसूची क्रमांक 02** के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

21. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तहसील शिवपुरी के वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिसूचना के अनुसार ग्राम न्यायालयों के द्वारा विचारण योग्य है, वे सभी प्रकरण ग्राम न्यायालयों के समक्ष ही प्रस्तुत किये जावेंगे।

22. ग्राम न्यायालय शिवपुरी के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर/पद रिक्त होने पर/अनुपस्थित रहने की दशा में सूची क्रमांक 02 के अनुसार ग्राम न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदन का निराकरण किया जावेगा।

इस कार्य विभाजन आदेश के प्रसारित होने पर पूर्व में प्रसारित समस्त कार्य विभाजन आदेश उन विषयों के संबंध में जिनके संबंध में इस आदेश में नवीन व्यवस्था की गई है, उनके संबंध में स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा उन विषयों के संबंध में जिनका इस आदेश में उल्लेख करना रह गया है पूर्व में प्रसारित आदेश का अनुसरण किया जा सकेगा।

यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 12.09.2026 से अन्य आदेश होने तक प्रभावशील होगा।

संलग्न-अनुसूची क्रमांक-1 एवं 2

अनुमोदित

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी (म0प्र0)

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

:: कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी, जिला-शिवपुरी (म.प्र.):

// अनुसूची क्रमांक 01 //

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन साक्षीगण एवं अभियुक्तों के कथन एवं संस्वीकृति को लेखबद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :-

क	आरक्षी केन्द्र	प्रथम प्रभारी न्यायालय का नाम	द्वितीय प्रभारी न्यायालय का नाम	तृतीय प्रभारी न्यायालय का नाम	चतुर्थ प्रभारी न्यायालय का नाम
01	02	03	04	05	06
1.	1. कोतवाली	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
2.	1. महिला थाना 2. आरक्षी केन्द्रों सिरसौद, गोपालपुर, फिजीकल, सुभाषपुरा, सुरवाया, देहात, सतनवाड़ा, कोतवाली, बम्हारी के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में उल्लेखित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304-बी, 354, 354-ए, 354-बी, 354-सी, 354-डी, 366-ए, 366-बी, 372, 373, 375, 376-ए लगायत 376-ई, 494, 495, 496, 498 एवं 498-ए एवं उनसे उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी
3.	1. देहात 2. जीआरपी 3. सुरवाया	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	<u>देहात-</u> श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस,

				श्रेणी, शिवपुरी <u>जीआरपी व</u> <u>सुरवाया-</u> श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	जिला शिवपुरी
4.	1. सुभाषपुरा 2. सतनवाड़ा	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती प्रीति पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी
5.	1. सिरसौद 2. गोपालपुर 3. बम्हारी 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण शिवपुरी	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी
6.	1. आरक्षी केन्द्र कोलारस, बदरवास, इंदार, रन्नौद, तेंदुआ के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में उल्लेखित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304-बी, 354, 354-ए, 354-बी, 354-सी, 354-डी, 366-ए, 366-बी, 372, 373, 375, 376-ए लगायत 376-ई, 494, 495, 496, 498 एवं 498-ए एवं उनसे उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
7.	1. बदरवास	श्रीमती प्रीति	श्री राहुल दुबे,	श्री धर्मवीर सिंह	सुश्री प्रीति

		पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
8.	1. कोलारस	श्रीमती प्रीति पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी
9.	1. इंदार 2. रन्नौद 3. तेंदुआ	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी

नोट:- प्रथम प्रभारी के अवकाश पर होने पर यदि अन्वेषण के बाद अभियोग पत्र द्वितीय प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत होना है तो ऐसी स्थिति में संस्वीकृति/कथन तृतीय प्रभारी के द्वारा लेखबद्ध किये जावेंगे। यदि तृतीय एवं चतुर्थ प्रभारी भी अवकाश पर है/किसी भी कारण से मुख्यालय पर उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में संस्वीकृति/कथन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा (जिसके समक्ष उक्त अपराध से संबंधित अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं होना है) लेखबद्ध किये जायेंगे जो कि प्रभावशील आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार उक्त तृतीय प्रभारी के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

नोट:- यदि अनुसूची 01 के कॉलम नंबर 04 या 05 में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी के समक्ष ही कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार अभियोग पत्र प्रस्तुत होना है तब ऐसी दशा में संस्वीकृति/कथन उक्त अनुसूची के आगामी कॉलम में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी के द्वारा संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध किये जायेंगे। अन्य दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध किये जावेगे।

// अनुसूची क्रमांक 02 //

न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में दांडिक प्रकरणों के अत्यावश्यक कार्य की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1.	श्रीमती प्राची उपाध्याय,	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत,	सुश्री प्रीति परिहार,	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश,	श्री धर्मवीर सिंह राठौर,

[illegible]

	प्रथम श्रेणी, कोलारस	कोलारस	श्रेणी, कोलारस	प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
--	-------------------------	--------	----------------	--------------------------	--------------------------

नोट:- उपरोक्त उल्लेखित सभी न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक दंडिक कार्य संपादित करेंगे।

अनुमोदित

[Signature]
(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी, (म.प्र.)

[Signature]
(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

पृष्ठांकन क्र.- 894

शिवपुरी, दिनांक- 15/09/2026

प्रतिलिपि :-

- 01 - माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला-शिवपुरी की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
- 02 - समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी एवं कोलारस की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 03 - पुलिस अधीक्षक जिला-शिवपुरी की ओर संबंधित थाना प्रभारियों को संसूचित करने बाबत।
- 04 - सहायक अभियोजन अधिकारी, कोलारस एवं शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 - अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, शिवपुरी एवं कोलारस की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 06 - सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम शिवपुरी, की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मैसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-शिवपुरी, (म.प्र.)